न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 69/2018 (राजसमन्द डिकी)

अमरी बेवा लखा जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, थाना रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. सवाईराम पिता लखा जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. केशु पिता लखा जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोहन पिता लखा जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. लालु पिता टेकचन्द जी, जाति गाडरी, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. लीला देवी पत्नी जगदीश जी जाट, निवासी सांसेरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिकी उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा
दिनांक 27.06.2017 प्र.सं. 124/14

———:::———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मुकेश शर्मा अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री डी.एस. शक्तावत अभिभाषक रेस्पो.सं. 4

———:::———

निर्णय दिनांक

22–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सांसेरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 12 रकबा 16 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक अधिकार होकर 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी नंबर 990 व 991 कुल किता 2 रबका 5 बीघा 18 बिस्वा में भी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का समान हक अधिकार होकर 1/2 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमियां अविभाजित होकर अपनी सुविधा अनुसार काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः उक्त भूमियों का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम स्वतंत्र रूप से घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 तनकियात कायम की गयी तथा अपन निर्णय दिनांक 01–03–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27–06–2017 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय की उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 27–06–2017 स रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 26–11–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट अनपढ़ गरीब महिला होने से उसे कानून की जानकारी नहीं थी। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद मं शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण वादी की साक्ष्य में नियत था, किन्तु बिना साक्ष्य का अवसर दिये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया है। अतः न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से वकील श्री डो. एस. शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु नियत था, किन्तु बिना साक्ष्य लिये प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अन्य रेस्पोन्डेन्टगण से मिलकर उक्त वाद डिक्री करवा लिया है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं गया है। अतः अपील स्वीकार कर उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाया जाकर निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट 4 के विद्वान अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा तो यह पाया कि दिनांक 15–02–2017 को प्रकरण वादी की साक्ष्य हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 01–03–2017 हेतु नियत था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना साक्ष्य का अवसर दिये वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया गया है तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर राजस्व कैम्प में दिनांक 27–07–2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी गयी है, जबकि विभाजन प्रस्ताव वादी/अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है। तद्नुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री पारित की गयी है, वह प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादी/अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर तथा सुनकर विरचित तनकियों पर साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–07–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....रेलमगरा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह..... 07.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03..... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।